राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प 7(3) परि/नियम/मु./95/ii/972 जयपुर, दिनांकः 12/1/18

आदेश

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 1183 (ई) दिनांक 29.12.2016 द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अंतर्गत नियम 32 एवं नियम 81 के तहत विभिन्न सेवाओं पर देय फीस एवं आवेदन में विलंब की दशा में अतिरिक्त फीस (Additional fees) वसूल किये जाने का प्रावधान किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी. बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 16594/2017 में दिनांक 20.12.2017 को पारित निर्णय द्वारा नियम 32 एवं 81 के तहत विभिन्न सेवाओं के आवेदन में विलंब की दशा में देय अतिरिक्त फीस (Additional fees) की वसूली को स्थगित कर दिया गया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के उक्त निर्णय की पालना में केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अंतर्गत नियम 32 एवं नियम 81 के तहत विभिन्न सेवाओ पर आवेदन में विलंब की दशा में देय अतिरिक्त फीस (Additional fees) की वसूली को तुरन्त प्रभाव से स्थगित किया जाता है। यह आदेश माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक : प 7(3) परि/नियम/मु./95/ii/973-979 जयपुर, दिनांकः 12-1-2018

प्रतिलिपिः

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
5. प्रादेशिक /अति. प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी (समस्त) ।
6. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर में अपेक्षित संशोधन एवं विभागीय वेबसाईट पर अपडेट करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

12/1/2018

सहायक परिवहन आयुक्त (नियम)